

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

सं. 2022/सेफटी/(एएंडआर)/19/26

नई दिल्ली, दिनांक: 13.01.2025

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें,
रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज एवं
प्रबंध निदेशक/ कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई

विषय: भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 - भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य नियम, 1976 के नियम 3.26 तथा 3.07 का संशोधन और उससे संबंधित शुद्धिपत्र।

भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य नियम, 1976 के नियम 3.26 तथा 3.07 में संशोधन के लिए राजपत्र अधिसूचना को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और जी.एस.आर.778(अ) दिनांक 23.12.2024 के तहत प्रकाशित किया गया है।

2. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त राजपत्र का शुद्धिपत्र भी भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और जी.एस.आर.21(अ) दिनांक 07.01.2025 के तहत प्रकाशित किया गया है। सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए शुद्धिपत्र के साथ राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है।

कृपया उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त


(तेजेन्द्र सिंह)

संयुक्त निदेशक/यातायात परिवहन-III
रेलवे बोर्ड

ई-मेल: tejendra.singh@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित : -

1. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
2. प्रधान परिचालन प्रबंधक, सभी भारतीय रेलों।
3. प्रधान सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलों।
4. प्रधान यांत्रिक इंजीनियर, सभी भारतीय रेलों।
5. प्रधान विद्युत इंजीनियर, सभी भारतीय रेलों।
6. प्रधान संरक्षा अधिकारी, सभी भारतीय रेलों।
7. महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ।
8. महानिदेशक, एनएआईआर, वडोदरा।
9. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, मानक नगर, लखनऊ।
10. प्रिंसिपल, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, पुणे।
11. प्रिंसिपल, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर।
12. प्रिंसिपल, भारतीय रेल सिगनल, इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
13. निदेशक, भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, नासिक।
14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय रेल परियोजना प्रबंधन इकाई, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।
15. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे, भुसावल, पूर्व रेलवे, भूली, उत्तर रेलवे, चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे, मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, अलीपुरद्वार, उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर, दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापल्ली, दक्षिण मध्य रेलवे, मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे, सिनी।
16. रेल संपर्क अधिकारी, गेट नंबर 3 प्रथम तल, जीवन तारा एक्सप्रेस, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
17. सचिव, रेल दर अधिकरण, चेन्नै।
18. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन, नई दिल्ली।
19. सभी सदस्य, विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद और सचिव स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
20. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नंबर 256-C, रेल भवन, नई दिल्ली।
21. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नंबर 248, रेल भवन, नई दिल्ली।
22. महासचिव, एफआरओए, कमरा नंबर 476-K, रेल भवन, नई दिल्ली।
23. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नंबर 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
24. भारतीय रेल सम्मेलन संघ, डीआरएम भवन, लेखा भवन, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।


(तेजेन्द्र सिंह)

संयुक्त निदेशक/यातायात परिवहन-III
रेलवे बोर्ड



**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**



No.2022/Safety(A&R)/19/26

New Delhi, dated. 13.01.2025

**The General Managers
All Indian Railways,
Railway Electrification, Prayagraj &
MD / Konkan Railway Corp.Ltd, Navi Mumbai**

**Sub: Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2024 -
Amendment of Rules 3.26 and 3.07 of Indian Railways (Open Lines) General
Rules, 1976 and related Corrigendum.**

Gazette Notification for amendment in **Rules 3.26 and 3.07** of Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 has been notified in the Gazette of India and published vide **G.S.R.778(E) dated 23.12.2024**.

2. Further, Corrigendum to the above-mentioned Gazette has also been notified in the Gazette of India and published vide **G.S.R.21(E) dated 07.01.2025**. A copy of the Gazette notification along with the Corrigendum is enclosed for information and further necessary action.

Please bring the contents of the above Gazette Notifications to the notice of all concerned.

DA: As above

(Tejendra Singh)

Joint Director Traffic Trans-III

Railway Board

Email Id: tejendra.singh@gov.in

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Chief Commissioner of Railway Safety/Lucknow.
2. The Principal Operations Managers, All Indian Railways.
3. The Principal Signalling & Telecommunication Engineers, All Indian Railways.
4. The Principal Mechanical Engineer, All Indian Railways.
5. The Principal Electrical Engineer, All Indian Railways.
6. The Principal Safety Officers, All Indian Railways.
7. The Director General, RDSO, Lucknow.
8. The Director General, NAIR, Vadodara.
9. The Director, Indian Railways Institute of Transport Management, Manak Nagar, Lucknow.
10. The Principal, Indian Railways Institute of Civil Engineering, Pune.
11. The Principal, Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur.
12. The Principal, Indian Railways Institute of Signal, Engineering and Telecom, Secunderabad.
13. The Director, Indian Railways Institute of Electrical Engineering, Nasik.
14. The Chief Administrative Officer, Indian Railway Project Management Unit, Shivaji Bridge, New Delhi.
15. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway, Bhusawal, Eastern Railway, Bhuli, Northern Railway, Chandausi, North Eastern Railway, Muzaffarpur, Northeast Frontier Railway, Alipurduar, North Western Railway, Udaipur, Southern Railway, Tiruchirapalli, South Central Railway, Maula Ali, South Eastern Railway, Sini.
16. The Railway Liaison Officer, Gate No.3 1st Floor, Jeevan Tara Bldg., Patel Chowk, Parliament Street, New Delhi.
17. The Secretary, Railway Rates Tribunal, Chennai.
18. The CAO, Central Organization for the Modernisation of Workshops, New Delhi.
19. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
20. The General Secretary, NFIR, Room No.256-C, Rail Bhavan, New Delhi
21. The General Secretary, AIRF, Room No.248, Rail Bhavan, New Delhi
22. The General Secretary, FROA, Room No.476-K, Rail Bhavan, New Delhi.
23. The General Secretary, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi.
24. The Indian Railways Conference Association, DRM's Building, Accounts Building, Chelmsford Road, New Delhi.

(Tejendra Singh)
Joint Director Traffic Trans-III
Railway Board



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122024-259608
CG-DL-E-23122024-259608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946

No. 716]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSHA 2, 1946

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 778(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3.07, उपनियम (7) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु, रंगीन बत्ती वाले दूरस्थ सिगनल को पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल के साथ या मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनल के साथ या समपार की सुरक्षा करने वाले रोक सिगनल के साथ मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (नीचे दी गई मद (क) के मामले में – संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख) (ग और घ) के मामले में संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक) द्वारा उपरोक्त व्यवस्था के साथ संयोजित करने की अनुमति दी गई हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए –

- (क) स्टेशन की सीमाओं के बाहर स्थित समपारों का अंतर्पाशन (इंटरलॉकिंग);
- (ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग;
- (ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और
- (घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।”

3. उक्त नियमों में 3 नियम, अर्थात्, में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा 26:-

“परन्तु, स्थिर सिगनलों को उपयोग में लाया जा सकेगा यदि उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी नीचे) दी गई मद (क) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान - के मामले में मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख), (ग) और (के) मामले में द्वारा गाड़ियों के सुरक्षित संचालन को (संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक -सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माना गया हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए -

- (क) स्टेशन की सीमाओं के बाहर स्थित समपारों का अंतर्पाशन (इंटरलॉकिंग);
- (ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग;
- (ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और
- (घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।”

[फा. सं. 2022/सेफ्टी(एएंडआर)/19/26]

हितेंद्र मल्होत्रा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) और पदेन सचिव

टिप्पणी-मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 445(अ) तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 160(अ) तारीख 07 मार्च, 2024 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2024

G.S.R 778(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, (hereinafter referred to as said rules), in rule 3.07, in sub-rule (7), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that, a colour light Distant signal may be permitted to be combined with the last Stop signal of a station in rear or with an Intermediate Block signal or with a Stop signal protecting a level crossing with arrangements as above, by the Sanctioning Authority (in case of item (a) below – Principal Chief Signal and Telecom Engineer of the concerned Zonal Railway, and in case of item (b), (c) and (d) below - General Manager of the concerned Railway) for the purpose of -

- (a) Interlocking of level crossings outside station limits;
- (b) Double Distant signaling alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling;
- (c) Intermediate Block signaling except in section with Slip siding and Catch siding, alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling; and
- (d) Automatic Block signaling except in section with Slip siding and Catch siding, alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling.”

3. In the said rules, in rule 3.26, the following shall be inserted, namely: -

“Provided that fixed signals can be brought into use if they have been passed by the Sanctioning Authority (in case of item (a) below - Principal Chief Signal and Telecom Engineer of the concerned Zonal Railway, and in case of item (b), (c) and (d) below - General Manager of the concerned Railway) as being sufficient to secure the safe working of trains, for the purpose of-

- (a) Interlocking of level crossings outside station limits;
- (b) Double Distant signaling alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling;
- (c) Intermediate Block signaling except in section with Slip siding and Catch siding, alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling; and
- (d) Automatic Block signaling except in section with Slip siding and Catch siding, alongwith corresponding changes at adjacent stations without yard remodelling.”

[F. No.2022/Safety(A&R)/19/26]

HITENDRA MALHOTRA, Member (O & BD) and Ex-Officio Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 445(E) dated 21st July, 1981 and last amended *vide* number G.S.R.160(E) dated 7th March, 2024.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260030
CG-DL-E-08012025-260030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946

No. 21]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 21(अ).—भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की तारीख 23 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 778(अ) में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 23 दिसंबर, 2024 को पृष्ठ 2 पर, प्रकाशित हुई थी, उसके नियम 3 को इस प्रकार पढ़ा जाए—

“3. उक्त नियमों में, नियम 3.26 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु, स्थिर सिगनलों को उपयोग में लाया जा सकेगा यदि उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी (नीचे दी गई मद (क) के मामले में - संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, और मद (ख), (ग) और (घ) के मामले में - संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक) द्वारा गाड़ियों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माना गया हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए—

(क) स्टेशन की सीमाओं के बाहर स्थित समपारों का अंतर्पाशन (इंटरलॉकिंग);

- (ख) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित डबल डिस्टेंट सिगनलिंग;
- (ग) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय, मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग; और
- (घ) यार्ड रिमॉडलिंग रहित निकटवर्ती स्टेशनों पर तत्स्थानी परिवर्तनों सहित स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग वाले खण्ड के सिवाय स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग।”

[फा. सं. 2022/सेफटी(एएंडआर)/19/26 Pt.1]

हितेंद्र मल्होत्रा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) और पदेन सचिव